संख्या:-71/2026/आई-1284926/001-228आ0-23-5002-002-2-2026
(कम्प्यूटर संख्या-2013331)

प्रेषक,

सुबास राम,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (परि0/नियो0),
लो0नि0वि0, लखनऊ उ0प्र0।

लोक निर्माण अनुभाग:-5 लखनऊ: दिनांक 31 मार्च , 2026

विषय: चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के पूंजी लेखा मद के लेखाशीर्षक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारी हॉस्टल/ट्रांजिट हास्टल निर्माण (चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद चंदौली के 01 चालू कार्य हेतु अवशेष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1067बीजीबी/109बीजीबी/757406/चंदौली/आई0ओ0सी0 एल0/आवा0/2025-26, दिनांक 19.03.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुख्यालय, लो0नि0वि0, लखनऊ के उक्त पत्र दिनांक-17.12.2025 द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या/प्रस्ताव पर सम्यक विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान सं0-55 के पूंजी लेखा मद के लेखाशीर्षक प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारी हॉस्टल/ट्रांजिट हास्टल निर्माण (चालू कार्य) के अन्तर्गत जनपद चंदौली के 01 चालू कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष देयता में से **रू0 29.77 लाख (रू0 उनतीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की श्री राज्यपाल निम्नवत तालिका व शर्त के साथ सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	शासनादेश संख्या व दिनांक	कार्य का नाम	योजनावार स्वीकृत मूल धनराशि/ प्राविधिक स्वीकृत धनराशि	अनुबन्ध आधारित बचत की धनराशि	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटित धनराशि	कार्य हेतु स्वीकृत धनराशि जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से राजकोष में जमा की गयी है	चालान संख्या व दिनांक	आई0ओ0सी0 एल0 से प्राप्त कर राजकोष में जमा की गयी धनराशि के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में निर्गत की जाने वाली धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	54/2016/289ईजी/23-5-16-50 (29)ईजी/16, दिनांक 30.03.2016 एवं 62/2018/73 आ0/23-5-18-50 (24)ईजी/16, दिनांक 18.09.2018 एवं 28/2019/54 आ0/23-5-19-50 (24)ईजी/16	जनपद चन्दौली में 30 यूनिट ट्रांजिट हास्टल भवन का निर्माण कार्य।	460.03	0.78	459.25	335.00	29.77	7700/01/AJ 00301 दिनांक 19.01.2024	29.77

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

	दिनाक 21.06.2019 एवं 54/2024/ आई-530951/001 234आ0/23-5002-002-36-2024 दिनांक 29.03.2024 एवं 84/2025/ आई-910939/001 - 251 आ0-23-5002-002-36 -2025 दिनांक 20.03.2025								
योग									29.77

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों –

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि के उपभोग/व्यय से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाय कि उक्त धनराशि वास्तविक रूप से राजकोष में जमा हो गयी है और राजकोष में जमा की गयी धनराशि उसी कार्य की है, जिस कार्य के लिए धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस आशय का प्रमाण पत्र भी सम्बंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा क्षेत्रीय मुख्य अभियंता से प्रतिहस्ताक्षरित कर प्राप्त कर लिया जाय।

(2) यह सुनिश्चित किया जाय कि ऑयल कंपनी से वापस ली गयी धनराशि का उपयोग केवल उन्ही कार्य पर किया जाय जिन कार्य पर प्रथमतः उसे भारित कर भुगतान किया गया है। किसी भी दशा में मूल कार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर व्यवर्तन नही किया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो उसे नियमानुसार कार्य के सुसंगत प्राप्ति मद में शासन के पक्ष में कोषागार में जमा कर दी जाये।

(3) उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि विश्वकर्मा पोर्टल के माध्यम से मुख्यालय,लो0नि0वि0,लखनऊ द्वारा जनरेट की गयी मांग/सूचना के आधार पर स्वीकृत की जा रही है। यदि उपलब्ध कराये गये प्रस्तावों/मांग में कोई विसंगति भविष्य में प्रकाश में आती है अथवा यह पाया जाता है कि प्रस्ताव में कोई गलत सूचना देकर या तथ्य छिपाकर अधिक धनराशि शासन से अवमुक्त करा ली जाती है तो सम्बन्धित अभियंता के विरुद्ध कठोर कार्यवाही के साथ ही नियमानुसार धनराशि की वसूली भी सुनिश्चित की जायेगी।

(4) प्रश्नगत चालू कार्य हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(5) प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्यों के सपंरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ0प्र0 प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(6) उपरोक्त परियोजना के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेश की शेष शर्तें एवं प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(7) समस्त धनराशि का आहरण-वितरणसम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

(8) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के सम्बन्ध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के सम्बन्ध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(9) विद्युत/यांत्रिक कार्यों हेतु निर्गत की जाने वाली धनराशि को मुख्यालय, लो0नि0वि0 द्वारा संबंधित विद्युत/यांत्रिक खण्ड को ही आवंटित किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में निहित प्राविधानों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) प्रश्नगत धनावंटन सम्बन्धी आदेश की प्रति, कार्यवृत्त विषयक पत्र संख्या-I/952140/2025, दिनांक 02.05.2025 एवं पत्र संख्या-I/962076/2025, दिनांक 14.05.2025 की प्रति सहित प्रधान महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज (इलाहबाद) को प्रेषित की जाय। महालेखाकार को प्रेषित मासिक लेखों के साथ विभाग द्वारा आई0ओ0सी0एल0 से प्राप्त कर राजकोष में जमा धनराशि के चालान की प्रति भी अवश्य प्रेषित की जाय।

(12) लोक निर्माण विभाग में सी0सी0एल0 प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से सम्बंधित बजट के ऑनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी0डी0ओ0 कोड आवंटन विषयक वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं0-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा करमदों के व्यय को सी0सी0एल0 प्रणाली से मुक्त रखते हुए समान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के सम्बन्ध में वित्त(लेखा) अनुभाग-2 के अक्र्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रू0 29,77,000 **(रू0 उनतीस लाख सतहत्तर हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-55 लेखाशीर्षक 4059800512300 प्रदेश के विभिन्न जनपदों में अधिकारी हॉस्टल/ट्रांजिट हॉस्टल का निर्माण (चालू कार्य) मानक मद 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
सुबास राम
उप सचिव।

संख्याः-71/2026/आई-1284926/001-228 आ0(1)-23-5-2026, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2- महालेखाकार(लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3- नोडल अधिकारी, बजट, लो0नि0वि0, उ0प्र0 शासन।
4- समस्त सम्बंधित जिलाधिकारी, उ0 प्र0।
5- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.gov.in

6- वित्त नियंत्रक, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लो0नि0वि0, उ0प्र0 लखनऊ।
7- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, लखनऊ।
8- समस्त सम्बंधित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ0प्र0।
9- मुख्य अभियन्ता(भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
10- समस्त सम्बंधित मुख्य अभियन्ता, लो0नि0वि0।
11- समस्त सम्बंधित अधीक्षण अभियन्ता, लो0नि0वि0।
12- समस्त सम्बंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
13- वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8/लो0नि0अनु0-10/श्रम अनु0-2/गार्ड बुक।

आज्ञा से,
जूली दुबे
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।